प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, राजसमन्द (राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर, **वर्ष 2023**
प्र.ई.रि.सं.....12/2023 दिनांक 17/5/2023

2.–(1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारा 7
(2) अधिनियम भा0द0सं0 धारा 120बी
(3) अधिनियम धारा.....–.....
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....–.....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.....345.....समय.....7:15PM.....
(ब) अपराध के घटने का दिन मंगलवार, **दिनांक 16.05.2023, समय 06.42 पीएम**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का **दिनांक 21.04.2023 समय 04.00 पीएम**

4.–सूचना की किस्मः– लिखित/मौखिकः–लिखित

5–घटनास्थलः– कार्यालय नगरपालिका आमेट जिला राजसमन्द
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– दिशा–उत्तर बफासला 40 किलोमीटर
(ब) पता.....
.....बीट संख्या .....जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना.....जिला.....

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ).–नाम :– श्री तोलीराम
(ब).–पिता का नाम :– श्री सोला जी बलाई
(स).–जन्म तिथि :– उम्र–50 वर्ष
(द).–राष्ट्रीयता :– भारतीय
(य).–पासपोर्ट संख्या.....–.....जारी होने की तिथि.....–.....जारी होने की जगह.....–.....
(र).–व्यवसायः– प्राईवेट कार्य
(ल).–पता :– निवासी आसन, (आमेट) तहसील आमेट जिला राजसमन्द

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–.....

1. श्री कृष्णगोपाल पुत्र श्री रामस्वरूप माली उम्र 43 वर्ष जाति माली निवासी पुलिस थाना के पास मसूदा जिला अजमेर हाल निवास किराये का मकान आरके पुरम कॉलोनी डॉ0 महला की गली गुलाबपुरा जिला भीलवाडा हाल अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका गंगापुर अतिरिक्त चार्ज नगरपालिका देवगढ एवं आमेट जिला राजसमन्द।
2. श्री बलवंत सिंह पुत्र श्री जोरावर सिंह उम्र 37 वर्ष जाति राजपुत निवासी गोवलिया मादडी पोस्ट मुण्डोल पुलिस थाना राजनगर जिला राजसमन्द हाल निवासी भाटी कॉलोनी आमेट जिला राजसमन्द हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय नगरपालिका आमेट जिला राजसमन्द।

8.– परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारणः–कोई नही

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)
2,00,000/– रूपये ट्रेप राशि

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य 2,00,000/–रूपये ट्रेप राशि

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो).....–.....
12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

महोदय जी,

वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार है कि श्री तोलीराम पुत्र श्री सोला जी बलाई निवासी आसन, (आमेट) तहसील आमेट जिला राजसमन्द ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि " मैं ग्राम आसन (आमेट) का मुल निवासी हुं। मैनें सेलागुडा के पास देवगढ–आमेट रोड के किनारे आराजी नम्बर 243 रकबा 1.4800 हैक्टर जमीन खरीदी थी। जो कि नगर पालिका आमेट के पेराफेरी क्षेत्र में आने से मैनें उस जमीन के भू–रूपांतरण कराने हेतु नगर पालिका आमेट में दिनांक 22.04.2022 को आवेदन किया था जिसके पेटे मैनें आवेदन शुल्क के रूप में नगरपालिका आमेट में 40,950/– रूपये जमा कराये जिसकी रसीद दी गई थी। उसके बाद दिनांक 18.11.2022 को मुझे नगरपालिका आमेट के ई.ओ. साहब श्री कृष्णगोपाल माली ने मुझे नगरपालिका आमेट बुलाकर मेरे द्वारा पूर्व में भू–रूपांतरण हेतु किये गये आवेदन के क्रम में ही मांग पत्र के अनुसार मुझे कुल 25,68,927/– रूपये जमा कराने के लिये कहा तो मैनें मेरे रिश्तेदारों/मिलने वालों से पहले से उधार के रूप में लिये हुये रूपयों में से उक्त 25,68,927/– रूपये जमा कराये जिसके पेटे मुझे रसीद दी। जिसके बाद मुझे मेरी जमीन में कुल 50 पट्टे आवासीय मुझे दे दिये। उक्त पट्टे देने के बाद जब अपने उधार लिये रूपयों को वापस चुकाने के लिये रूपयों की जरूरत पडी तो मैनें कुछ प्लॉट बेचने के लिये ग्राहको को कहा तो उन्होंने मुझसे प्रमाणित ले–आउट मांगा तो मैनें वापस नगरपालिका आमेट में ई.ओ. साहब श्री कृष्णगोपाल माली से संपर्क किया और ले–आउट प्लान के लिये कहा तो उन्होंने मुझसे कुल 10,00,000/– रूपये रिश्वत की मांग की और कहा कि 10,00,000/– रूपये रिश्वत नहीं दी तो पट्टे निरस्त कर दुंगा और रिश्वत राशि कहां देनी है और कब देनी है यह मैं तेरे को बता दुंगा तुं तो रूपयों का व्यवस्था करके रखना।" जिस पर मैनें पट्टे कैंसिल करने के डर से बाजार से साहुकारों से उधार मांग कर 6,00,000/– रूपये की व्यवस्था की थी। उसके बाद दिनांक 10.04.2023 को ई.ओ. साहब श्री कृष्णगोपाल माली ने रात को करीब 08.30 बजे के लगभग नगरपालिका आमेट के ही कर्मचारी बलवंत सिंह के फोन से मुझे मेरे फोन पर कॉल करवाकर मुझे नगरपालिका आमेट में बुलाया तो मैं मेरे साथ मेरे व्यवस्थानुसार 6,00,000/– रूपये लेकर ही गया था और जैसे ही नगरपालिका आमेट में पहुंचा तो वहां पर ई.ओ. साहब श्री कृष्णगोपाल माली अपने ऑफिस में मिले और उन्होंने मुझसे पहले कहे अनुसार ही 10,00,000/– रूपये रिश्वत की मांग की थी। जिस पर मैंने अपने पास में रखे 6,00,000/– रूपये उनको दबाव में आकर दिये तो ई.ओ. साहब ने बाकी के 4,00,000/– रूपये में से एक लाख रूपये कम करके 3,00,000/–रूपये और देने के लिये कहा और कहा कि 3 लाख रूपये ओर नहीं दिये तो पट्टे कैंसिल कर दुंगा और पहले की तरह ही कहा कि "अब बाकी के 3,00,000/– रूपये भी जब भी मैं तेरे को बुलाउं तब लेकर आना नहीं तो पट्टे कैंसिल कर दुंगा।" फिर मैं नगरपालिका आमेट से निकलकर अपने घर चला गया था। श्रीमान आपसे निवेदन है कि नगरपालिका आमेट के ई.ओ. साहब श्री कृष्णगोपाल माली ने मिलीभगत करके मेरी जमीन के भू–रूपांतरण के शुल्क के रूप में मुझसे व्यवसायिक भू–रूपांतरण के बराबर शुल्क लेकर मुझे धोखे में रख कर मुझे आवासीय भू–रूपांतरण कर पट्टे दिये जो कि गलत किया है और मुझसे ज्यादा रूपये ले लिये है। इसी प्रकार अब मेरी जमीन के ले–आउट प्लान प्रमाणित देने के लिये मुझसे रिश्वत राशि की मांग की जा रही है तथा उक्त ई.ओ. साहब श्री कृष्णगोपाल माली के पास तीन नगरपालिका आमेट, देवगढ जिला राजसमन्द व गंगापुर जिला भीलवाडा का चार्ज है तथा मेरी भू–रूपांतरण की फाईल में श्री कृष्णगोपाल माली ई.ओ. ने रिश्वत राशि ओर लेने के मकसद से कोई कमीयां ओर रखी हो तो मुझे इसकी जानकारी नही है। मैं नगरपालिका आमेट के ई.ओ. श्री कृष्णगोपाल माली को अब बाकी की 3,00,000/–रूपये रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं। बल्कि उक्त श्री कृष्णगोपाल ई.ओ. को रिश्वत राशि देते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी ई.ओ. श्री कृष्णगोपाल माली से कोई भी उधार राशि या पुरानी बकाया राशि की लेन–देन नहीं है, न हीं कोई आपसी रंजिश है। मैं अपने भू–रूपांतरण से संबंधित रसीदे व दस्तावेज की फोटो प्रतियां रिपोर्ट के साथ पेश कर रहा हुं। कानूनी कार्यवाही करावें।" इसके उपरान्त मन् पुलिस उप अधीक्षक अनूप सिंह द्वारा परिवादी श्री तोलीराम से उसकी ओर से पेश की गई लिखित रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए परिवादी से दरियाप्त की तो परिवादी ने उसके द्वारा पेश की हुई लिखित रिपोर्ट की ताईद की। तत्पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित रिपोर्ट एवं दरियाप्त से संदिग्ध श्री कृष्णगोपाल माली अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका आमेट जिला राजसमन्द द्वारा परिवादी श्री तोलीराम से उसकी ग्राम सेलागुडा के पास देवगढ–आमेट रोड के किनारे आराजी नम्बर 243 रकबा 1.4800

हैक्टर जमीन जो कि नगर पालिका आमेट के पेराफेरी क्षेत्र में आने से उस जमीन के भू–रूपांतरण कराने के बाद कुल 50 पट्टे आवासीय परिवादी को दे दिये गये। उक्त पट्टे देने के बाद जब परिवादी श्री तोलीराम द्वारा अपने उक्त प्लॉट बेचने के लिये प्रमाणित ले–आउट की आवश्यकता पडी तो उसकी एवज में श्री कृष्णगोपाल माली अधिशाषी अधिकारी द्वारा रिश्वत राशि की मांग करना अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। ततपष्चात दिनांक 15.05.2023 को परिवादी श्री तोलीराम एवं श्री 'कृष्णगोपाल माली ई.ओ. और बलवंत सिंह वरिष्ठ सहायक के मध्य मांग सत्यापन वार्ता करायी गयी। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर ऑन कर सुना गया तो रिष्वत राषि मांग सत्यापन वार्ता में परिवादी के प्लॉटो के प्रमाणित ले–आउट प्लान देने की एवज में श्री 'कृष्णगोपाल माली ई.ओ. और बलवंत सिंह वरिष्ठ सहायक ने कुल 03 लाख रूपये की मांग की है तथा दिनांक 16.05.2023 को ही रिश्वत राशि 300000/–रूपये देने हेतु परिवादी को कहा। दिनांक 16.05.2023 को परिवादी श्री तोलीराम को श्री कृष्णगोपाल अधिशाषी अधिकारी व श्री बलवंत सिंह वरिष्ठ सहायक को देने वाली रिश्वत राशि में 2,00,000/– रूपये की व्यवस्था कर आमेट ही रूकने की हिदायत दी। इसके पश्चात श्री आदर्श कुमार पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो टीम श्री लाल सिंह हैड कानि. 139, श्री दिनेश कानि. 266, श्री भारत सिंह कानि. 441 व स्वतंत्र गवाहान श्री प्रभुलाल सुथार, श्री मांगीलाल बुनकर मय प्राईवेट टेक्सी वाहन, लेपटोप प्रिन्टर एवं आवश्यक संसाधन के वास्ते इमदाद उपस्थित ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द आये जिन्हें मन पुलिस उप अधीक्षक ने गोपनीय ट्रेप कार्यवाही के संबंध में निर्देशित कर अग्रिम आदेश के इंतजार में रवाना देवगढ की ओर किया। समयः–05.10 पी.एम. पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् अनूप सिंह पुलिस उप अधीक्षक मय ब्यूरो टीम के सदस्य महिला हैड कानि. श्रीमती सीता नं. 233 व श्री जितेन्द्र कुमार नं. 262, श्री भंवरदान कानि. नं. 414 व चालक मनोज कुमार कानि. नं. 23 मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व ब्यूरो के सरकारी वाहन बोलेरो नं. आर0जे0–14–यू0जे0–1746 से तथा ब्यूरो टीम के सदस्य श्री गोविन्दनारायण हैड कानि. नं 117 मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी के व स्वतंत्र गवाह श्री मन्जूर खान पठान हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी व श्री विजय सिंह वनपाल व श्री प्रदीप सिंह कानि. 162 व श्री किशनाराम कानि. नं. 404 मय भूमि विकास बैंक राजसमन्द के अनुबंधित वाहन बोलेरो नं. आर0जे0–30–टी0ए0–1155 के चालक श्री भरत सिंह के ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द से कस्बा आमेट के लिये रवाना हुये, कस्बा आमेट से पहले सालमपुरा 132 केवी जीएसएस जाने वाले आम रास्ते पर समय 05.50 पी.एम. पर पहुंचे जहां पर पुर्व की हिदायत अनुसार परिवादी श्री तोलीराम ने दो प्राईवेट मोटरसाइकिले अपने स्तर पर उपलब्ध करा रखी थी। तत्पश्चात उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री तोलीराम पुत्र श्री सोला जी जाति बलाई, उम्र 50 साल, निवासी आसन, पुलिस थाना आमेट, तहसील आमेट जिला राजसमन्द को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री तोलीराम ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 रूपये के 400 नोट राशि 2,00,000/– रूपये प्रस्तुत किये। समस्त नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु उपस्थित ब्यूरो टीम के सदस्य श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117 से वाहन बोलेरो नं. RJ 30 TA 1155 में पुर्व से ही उसकी ही निगरानी में रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को बाहर निकलवा कर उसी से वाहन बोलेरो की बीच की सीट पर अखबार बिछा कर अखबार पर उपरोक्त समस्त नोट जो परिवादी श्री तोलीराम ने पेश किये जिनके दोनो ओर श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117 से उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी से पाउडर निकलवाकर लगवाया गया। परिवादी श्री तोलीराम की जामा तलाशी ब्यूरो टीम के साथ उपस्थित स्वतंत्र गवाह श्री मंजूर खान पठान, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उपवन संरक्षक वन्यजीव राजसमन्द से लिवाई जाकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगे सभी नोटो को परिवादी श्री तोलीराम के शरीर पर पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी व बांयी जेब में कोई वस्तु नहीं छोडते हुए श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117 से रखवाये गये। तत्पश्चात् एक साफ कॉच के गिलास में बोलेरो वाहन में रखे पानी के केम्पर से साफ पानी भरवा कर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया और उपस्थित स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री तोलीराम को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117 की उंगलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत करा फर्द पेशकशी पृथक से तैयार कर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ततपश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक मय ब्यूरो

टीम के सदस्य महिला हैड कानि. श्रीमती सीता नं. 233 व श्री भंवरदान नं. 414 व चालक मनोज कुमार कानि. नं. 23 मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व ब्यूरो के सरकारी वाहन बोलेरो नं. आर0जे0–14–यू0जे0–1746 से तथा ब्यूरो टीम के सदस्य श्री प्रदीप सिंह नं. 162 व स्वतंत्र गवाह श्री मन्जूर खान पठान हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी व श्री विजय सिंह वनपाल व श्री प्रदीप सिंह कानि. 162 मय भूमि विकास बैंक राजसमन्द के अनुबंधित वाहन बोलेरो नं. आर0जे0–30–टी0ए0–1155 व चालक श्री भरत सिंह के रवाना हो नगर पालिका परिसर आमेट से कुछ दुरी पर रोड के किनारे अपनी उपस्थिति को छिपाते हुये परिवादी के निर्धारित इशारे के इन्तजार में मुकिम रहे। इसके पश्चात समय 06.42 पी.एम. पर परिवादी द्वारा श्री प्रदीप सिंह कानि0 162 को निर्धारित ईशारा मोबाईल से कॉल कर सूचित करने पर कानि. प्रदीप सिंह नं. 162 द्वारा ब्यूरो जाप्ता में कानि. जितेन्द्र कुमार 262 व मन् पुलिस उप अधीक्षक को मोबाईल से कॉल कर परिवादी द्वारा रिश्वत राशि आरोपी को दिये जाने के संबंध में बताया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाह एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य श्रीमती सीता हैड कानि0 नं0 233, जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 262, प्रदीप सिंह कानि0 नं0 162, किशनाराम कानि0 नं0 404, भंवरदान कानि0 नं0 414 के कार्यालय नगरपालिका आमेट में तेज–तेज कदमों से प्रवेश किया। जहां पर परिवादी श्री तोलीराम मिला जिसने मन् पुलिस उप अधीक्षक को महंगाई राहत कैम्प में बैठे गुलाबी कलर के शर्ट एवं ब्ल्यू कलर की पेंट वाले व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही कृष्णगोपाल माली अधिशाषी अधिकारी है जिन्होने मुझसे रिश्वत राशि की मांग की ओर रिश्वत राशि अधिशाषी अधिकारी के कहने पर श्री बलवंत सिंह वरिष्ठ सहायक को दिलवाये। कृष्णगोपाल माली को मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना व मय हमराहियान का परिचय देते हुए अधिशाषी अधिकारी से उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम कृष्णगोपाल अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका गंगापुर अतिरिक्त चार्ज नगरपालिका देवगढ एवं आमेट होना बताया। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अधिशाषी अधिकारी को अपने साथ लेकर स्टोर शाखा में गये जहा सामने कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा था जिसकी ओर ईशारा कर कहा कि यही बलवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक है जिन्होंने मेरे से 2,00,000/– रूपये रिश्वत राशि अपने हाथ में लेकर मेरे सामने ही इनकी टेबल की तीसरे नम्बर की दराज में रखी है। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना व मय हमराहियान का परिचय देते हुए उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम बलवंत सिंह पुत्र श्री जोरावर सिंह उम्र 37 वर्ष जाति राजपुत निवासी गोवलिया मादडी पोस्ट मुण्डोल पुलिस थाना राजनगर जिला राजसमन्द हाल निवासी भाटी कॉलोनी आमेट जिला राजसमन्द हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय नगरपालिका आमेट होना बताया। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने आरोपी श्री बलवन्त सिंह से परिवादी से 2,00,000 रूपये रिश्वत राशि लेने के संबंध में पूछा तो घबराते हुए कहा कि श्री तोलीराम मेरे पास आये ओर मेरे टेबल के ड्रॉवर में नोटों के बण्डल रख दिए ओर तोलीराम बाहर चला गया। मैं तोलीराम को अच्छी तरह से जानता हुं। तोलीराम ने किस काम के 2,00,000 रूपये दिए मुझे नही पता। मैंने इनसे कोई रिश्वत राशि नहीं ली है। इस पर तोलीराम ने कहा कि मेरी कल दिनांक 15.05.2023 को अधिशाषी अधिकारी से वार्ता हुयी तब श्री बलवन्त सिंह ने कहा कि तुम रूपये ले आओं ओर मैं तुम्हे ले आउट प्लान दे दूंगा। मैंने कहा मेरे पास 1,00,000 रूपये ही है तो श्री बलवन्त सिंह जी ने कहा व्यवस्था करके ले आना। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पुनः बलवन्त सिंह से रिश्वत राशि ग्रहण करने बाबत पुछा तो बताया कि तोलीराम का भूरूपान्तरण संबंधी कार्य था परन्तु मेरा भूमि शाखा से संबंधित कोई कार्य नहीं है। मैं स्टोर एवं केश/लेखा संबंधी कार्य सम्पादित करता हूं। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री कृष्णगोपाल अधिशाषी अधिकारी को परिवादी के ले आउट प्लान के संबंध में पुछा तो अधिशाषी अधिकारी ने बताया कि श्री तोलीराम पुत्र सोला जी बलाई निवासी आमेट ने अपनी स्वयं की कृषि भूमि राजस्व ग्राम सेलागुडा पटवार हल्का सेलागुडा में कृषि भूमि का अकृषि आवासीय रूपान्तरण किये जाने हेतु आवेदन प्रशासन शहरो के संग अभियान में प्रस्तुत किया था। जिसका पट्टा प्रशासन शहरो के संग अभियान में करीबन 3 माह पूर्व ही जारी हो गया था। ले आउट प्लान आवेदक तोलीराम को नही दिया गया। आवेदक को नियमानुसार ले आउट प्लान जारी होने के पश्चात ही भूमि के पट्टे जारी होते है। इस मामले में ले आउट प्लान पर श्री कैलाश मेवाडा चैयरमेन, ड्राफ्टमैन गोवर्धन लाल कुमावत के हस्ताक्षर किए गए है। ले आउट प्लान पर अधिशाषी अधिकारी के हस्ताक्षर होना शेष है। आरोपी श्री कृष्णगोपाल से उसके हस्ताक्षर नहीं होने व ले आउट प्लान जारी नहीं होने का कारण पुछा तो बताया कि हस्ताक्षर करना सहवन से रह गये होंगे। जिस पर परिवादी ने स्वतः ही कहा कि अधिशाषी अधिकारी द्वारा मुझसे 4,00,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा था। जबकि 6,00,000 रूपये ये मुझसे पूर्व में भी दबाव देकर वसूल चुके है। दिनांक 15.05.2023 को

अधिशाषी अधिकारी ने मुझसे 3,00,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की तथा अधिशाषी अधिकारी के कहने पर श्री बलवन्त सिंह व0सहा0 ने मुझे कहा कि तुम रूपये मुझे दे देना और ले आउट प्लान मुझसे ले जाना। आज अधिशाषी अधिकारी के कहने पर श्री बलवन्त सिंह व0सहा0 ने मेरे ले आउट प्लान देने की एवज में 2,00,000 रिश्वत राशि अपने हाथों से ग्रहण कर अपने टेबल की तीसरे नंबर की दराज में रखी है। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने श्री आदर्श कुमार पुलिस निरीक्षक भ्रनिब्यूरो उदयपुर एसयू मय जाप्ता मय गवाहान के आरोपी श्री कृष्ण गोपाल के राजकीय आवाज देवगढ पालिका कैम्पस की तलाशी लेने हेतु जरिये मोबाईल फोन निर्देशित किया। ततपश्चात श्री भंवरदान कानि नम्बर 414 से गाडी में से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर हाथ धुलवाई की कार्यवाही हेतु कानि0 जितेन्द्र कुमार कानि0 262 से ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलासों में अलग–अलग साफ पानी भरकर मंगवाया तथा उक्त दोनों गिलासों में अलग–अलग एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया। उक्त घोल को दोनों गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री बलवन्त सिंह व0सहा0 के दाहिने हाथ की अंगुलियां एवं अंगूठा को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धौवण का मिश्रण हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया जिसे दो अलग–अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल–चिट कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवा मार्क आर0 एच0–1 व आर0 एच0–2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में श्री बलवन्त सिंह व0सहा0 के बाये हाथ की अंगुलियां एवं अंगूठा को धुलवाया गया तो बाये हाथ के धौवण का रंग मटमैला हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो मटमैला होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग–अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल–चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा मार्क एल0 एच0–1 व एल0 एच0–2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। श्री बलवन्त सिंह व0सहा0 के द्वारा अपने कक्ष की टेबल की तीसरी दराज में रखी रिश्वत राशि स्वतंत्र गवाह श्री मंजूर खान पठान से लिवाई जाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान से गिनवायी गयी तो 500–500 के 400 नोट कुल राशि 2,00,000 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी नोट से करवाई गई तो नोटो के नम्बर समान पाये गये। उक्त नोटों को एक सफेद कागज लगाकर शील्डचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। ततपश्चात कानि0 जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया तथा उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया। उक्त घोल को दोनों गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री बलवन्त सिंह व0सहा0 के द्वारा अपने कक्ष की टेबल की तीसरे नंबर की दराज जिस पर से रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त कागज कार्यालय नगरपालिका आमेट जिला राजसमन्द नगरपालिका क्षेत्र आमेट में कुशल कम्प्युटर आपरेटर उपलब्ध करना कार्य तुलनात्मक विवरण दिनांक 13.04.23 टेण्डर संबंधी पत्रादि पर रखी रिश्वत राशि बरामदगी स्थल को रूई के फोए को गिला कर धोवण लेकर रूई के फोए को धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमेला हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो मटमेला होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग–अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल–चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा मार्क डी–01 व डी–02 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई तथा रूई के फोए को जला कर नष्ट किया गया। रिश्वत राशि बरामद कागज कार्यालय नगरपालिका आमेट जिला राजसमन्द नगरपालिका क्षेत्र आमेट में कुशल कम्प्युटर आपरेटर उपलब्ध करना कार्य तुलनात्मक विवरण दिनांक 13.04.23 टेण्डर संबंधी पत्रादि को कब्जे ब्यूरो लिया गया। ततपश्चात आरोपीगण श्री कृष्णगोपाल एवं श्री बलवन्त सिंह व0सहा0 को दोनों गवाहान की उपस्थित में मन् पुलिस उप अधीक्षक ने दिनांक 15.05.2023 एवं दिनांक 16.05.2023 को आरोपीगण व परिवादी के मध्य हुयी वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालु कर सुनाया गया तो आरोपीगण व परिवादी के अपनी–अपनी आवाज होने की पुष्ठि हुई। जिसकी फर्द ट्रासंकिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता तथा सीडी अकब से तैयार की गयी। श्री बलवन्त सिंह व0सहा0 की जामा तलाशी श्री मंजूर खांन पठान से लिवायी गयी तो श्री बलवन्त सिह के जिंस पेंट की जेब से एक मोबाईल ऑपों कम्पन्नी का मिला तथा आरोपी श्री कृष्णगोपाल अधिशाषी अधिकारी की जामा तलाशी श्री मंजूर खांन पठान से लिवायी गयी तो श्री कृष्णगोपाल की पेन्ट की दायी जेब से कुछ रूपये मिले जिसे दोनों गवाहान से गिनवाये गए तो दोनों गवाहान ने 500–500 के 83 नोट कुल 41,500 रूपये होना बताया। तथा बायी जेब से एक मोबाईल वन प्लस 7 टी कम्पन्नी का मिला आरोपीगण के मोबाईल को पृथक से वजह सबूत जप्त किया गया। अधिशाषी अधिकारी से जामा तलाशी के अतिरिक्त

कोई अन्य राशि के बारे में पुछा तो आरोपी ने स्वतः ही बताया कि नगरपालिका के बाहर मेरी सफेद कलर की स्विफ्ट डिजायर कार खडी जिसके नं0 आरजे 01 सीबी 8944 है। मेरी गाडी के डेशबोर्ड में 1,00,000 रूपये रखे हुए है। जो मन् पुलिस उप अधीक्षक ने दोनों गवाहान के समक्ष आरोपी से कार की चाबी लेकर गाडी की तलाशी गवाहान से लिवाई गई तो आरोपी की कार के डेशबोर्ड से कुछ रूपये स्वतंत्र गवाह श्री मंजूर खांन ने निकाले जिसे दोनों गवाहान से गिनवाये गये तो दोनों गवाहान ने 500–500 के 100 नोट, 2000–2000 के 25 नोट कुल 1,00,000 रूपये होना बताया। जिसके संबंध में आरोपी से पुछा गया तो आरोपी श्री कृष्ण गोपाल ने बताया कि मैं अपनी गाडी के अन्दर हमेशा से ही 1,00,000 रूपये एवं 50 हजार रूपये जेब में वक्त जरूरत काम आने के लिए रखता हूं। यह रूपये मेरी तनख्वाह के बचत के है। जब आरोपी से स्वयं के पास एवं कार में पृथक–पृथक इतनी रकम रखने के औचित्य का पुछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया गया जिस पर दौराने जामा तलाशी प्राप्त 41500 रूपये एवं कार की तलाशी में मिले 100000 रूपये कुल राशि 141500 रूपये संदिग्ध मानते हुए जरिए फर्द पृथक से जब्त किये गये। परिवादी श्री तोलीराम से संबंधित भूरूपान्तरण संबंधी संपूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई। जिस का अवलोकन किया गया तो श्री तोलीराम पुत्र सोला जी बलाई निवासी आमेट ने अपनी स्वयं की कृषि भूमि राजस्व ग्राम सेलागुडा पटवार हल्का सेलागुडा में खसरा नं0 243 रकबा 1.4800 हैक्टेयर कृषि भूमि का अकृषि आवासीय रूपान्तरण किये जाने हेतु भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के तहत आवेदन प्रस्तुत किया। रिकॉर्ड देखने से पत्रावली पर, ले आउट प्लान पर अधिशाषी अधिकारी के हस्ताक्षर नही है तब भी परिवादी को पट्टे जारी कर दिये गये है। जबकि नियमानुसार पहले ले आउट प्लान जारी होकर ही पट्टे दिये जा सकते है। उक्त पत्रावली बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई। चूंकि मौका घटनास्थल पर महंगाई राहत कैम्प से व्यस्तम होने तथा आम लोगों की आवाजाही अधिक होने से सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आरोपीगण श्री कृष्णगोपाल एवं श्री बलवन्त सिंह को साथ में लाये अनुबंधित वाहन में बैठाकर, दोनों स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी के सभी सदस्य मय परिवादी के नगरपालिका आमेट से रवाना होकर समय करीब 08.25 पीएम पर पुलिस थाना आमेट पहुंचे। आरोपी श्री बलवन्त सिंह का सेवा विवरण प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 17.05.23 को समय करीबन 12.25 ए.एम. पर श्री आदर्श कुमार पुलिस निरीक्षक भ्रनिब्यूरो उदयपुर एसयू मय जाप्ता मय गवाहान के आरोपी श्री कृष्ण गोपाल के राजकीय आवास देवगढ पालिका कैम्पस की तलाशी लेकर पुलिस थाना आमेट उपस्थित आए और आरोपी श्री बलवन्त सिंह के किराये के निवास भाटी कॉलोनी आमेट मकान मालिक श्रीमती सुन्दरबाई पत्नि स्व0 श्री भंवरलाल महाजन के निवास पर आरोपी श्री बलवन्त सिंह के साथ पुलिस निरीक्षक आदर्श कुमार, मय गवाहान मय ब्यूरो जाप्ता एसयू के खाना तलाशी हेतु रवाना हो बाद खाना तलाशी के 01.15 एएम पर उपस्थित पुलिस थाना आमेट आये। मौके पर समस्त फर्दात फर्द जब्ती मोबाईल आरोपीगण, फर्द ट्रांसकिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं फर्द ट्रांसकिप्ट रिश्वत राशि लेन देन वार्ता, उक्त वार्ताओं की मूल एवं डब सीडी अलग–अलग तैयार कर मूल सीडीयों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा मूल सीडी को अलग अलग एक सफेद कपडे की थेली में रखकर सिलचिट किया गया। फर्द जप्ती जामा तलाशी 41500 रूपये एवं कार तलाशी में मिले 1,00,000 रूपये कुल 141500 रूपये, फर्द जब्ती मेमोरी कार्ड एवं आरोपीगण श्री कृष्णगोपाल अधिशाषी अधिकारी व श्री बलवन्तसिह वरिष्ठ सहायक को जरिए फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की गई एवं फर्द नष्टीकरण नमूना सील अकब से तैयार की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियो से पाया गया कि परिवादी श्री तोलीराम की अपनी स्वयं की कृषि भूमि राजस्व ग्राम सेलागुडा पटवार हल्का सेलागुडा में खसरा नं0 243 रकबा 1.4800 हैक्टेयर कृषि भूमि का अकृषि आवासीय रूपान्तरण का पट्टा जारी किया गया। आरोपीगण श्री कृष्णगोपाल अधिशाषी अधिकारी एवं श्री बलवन्त सिंह द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर भूमि का ले आउट प्लान जारी करने की एवज में परिवादी श्री तोलाराम से दिनांक 15.05.2023 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 3,00,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना मांग अनुसार दिनांक 16.05.2023 को 2,00,000 रूपये रिश्वत राशि बलवन्त सिंह द्वारा अपने हाथों में लेकर अपने कार्यालय कक्ष की टेबल की तीसरे नम्बर की दराज में रखना, जहां से 2,00,000/– रूपये रिश्वत राशि बरामद होना तथा आरोपी श्री बलवन्त सिंह की हाथ धुलाई करवाने पर दाये हाथ के धोवण के घोल का रंग हल्का गुलाबी होना व बाये

हाथ का मटमैला व रिश्वत राशि बरामदगी स्थल आरोपी बलवन्त सिंह की टेबल की तीसरे नंबर की दराज के धोवण का रंग मटमैला प्राप्त होना आरोपीगण श्री कृष्णगोपाल अधिशाषी अधिकारी एवं श्री बलवन्त सिंह का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भा0द0सं0 का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होना पाया गया हैं। अतः आरोपी कृष्णगोपाल पुत्र श्री रामस्वरूप माली उम्र 43 वर्ष जाति माली निवासी पुलिस थाना के पास मसूदा जिला अजमेर हाल निवास किराये का मकान आरके पुरम कॉलोनी डॉ0 महला की गली गुलाबपुरा जिला भीलवाडा हाल अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका गंगापुर अतिरिक्त चार्ज नगरपालिका देवगढ एवं आमेट तथा श्री बलवंत सिंह पुत्र श्री जोरावर सिंह उम्र 37 वर्ष जाति राजपुत निवासी गोवलिया मादडी पोस्ट मुण्डोल पुलिस थाना राजनगर जिला राजसमन्द हाल निवासी भाटी कॉलोनी आमेट जिला राजसमन्द हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय नगरपालिका आमेट के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भा0द0सं0में कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय

(अनूप सिंह)
पुलिस उप अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजसमन्द

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनूप सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री कृष्णगोपाल, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका गंगापुर अतिरिक्त चार्ज नगरपालिका देवगढ एवं आमेट, जिला राजसमन्द एवं 2. श्री बलवंत सिंह, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय नगरपालिका आमेट, जिला राजसमन्द के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 121/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

17.5.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 913-17 दिनांक 17.05.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. निदेशक, स्वायत शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका आमेट, जिला राजसमंद।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमंद।

17.5.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।